

प्रारूप सं. 04
अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(अन्तर्गत धारा 82 द.प्र.सं.)

सरकार बनाम शमशेर खान
विविध आपराधिक प्रकरण संख्या - 43/2024
आगामी पेशी - 12.09.2024

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि शमशेर खान उर्फ शमशेर भाई पुत्र स्व. अब्दुल हमीद निवासी ग्राम व पोस्ट छाण, पानी की टंकी के पास, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 153ए के अधीन दण्डनीय एवं धारा 13, 18 U.A.(P) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त शमशेर खान मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप से यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त शमशेर खान फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि ग्राम व पोस्ट छाण, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान के उक्त शमशेर खान से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (एन.आई.ए. कैसेज) एवं सी.बी.आई. क्रम-01 राजस्थान जयपुर में तारीख 12.09.2024 को हाजिर हो।

तारीख - 29.07.2024

हस्ताक्षर

न्यायालय
की मुद्रा

विशिष्ट न्यायाधीश
(एन.आई.ए. कैसेज)
एवं सी.बी.आई. क्रम-01
राजस्थान जयपुर

CB C 19133/11/0026/2425